भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1210

दिनांक 09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

डॉक्टर और जनसंख्या का अनुपात

1210. श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों में देश में डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात क्या है;

(ख) क्या यह अनुपात अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप है;

(ए) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कया कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने और प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, जून, 2022 तक राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) में पंजीकृत 13,08,009 एलोपैथिक चिकित्सक हैं। पंजीकृत एलोपैथिक चिकित्सकों और 5.65 लाख आयुष चिकित्सकों की 80% उपलब्धता मानते हुए देश में चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात 1:834 है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के 1:1000 के मानक से बेहतर है।

सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई है और इसके बाद एमबीबीएस की सीटें बढ़ा दी हैं। मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2014 से पहले 387 थी जो 82% की वृद्धि से अब 706 हो गई है। इसके अलावा, एमबीबीएस सीटों में 112% की वृद्धि हुई है, जो 2014 से पहले 51,348 थी, अब तक 1,08,940 हो गई है और पीजी सीटों में 127% की वृद्धि हुई है, जो 2014 से पहले 31,185 थी, जो अब 70,645 हो गई है।

देश में चिकित्सक/चिकित्सा पेशेवरों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों/कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) जिला/रेफरल अस्पताल के उन्नयन द्वारा नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना जिसके अंतर्गत अनुमोदित 157 नए मेडिकल कॉलेजों में से 108 नए मेडिकल कॉलेज पहले से ही कार्य कर रहे हैं।

(ii) एमबीबीएस और स्नातकोत्तर सीटों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के मौजूदा मेडिकल कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण/उन्नयन हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना।

(iii) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) योजना के "सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉकों के निर्माण द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन" के अंतर्गत कुल 75 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं जिनमें से 64 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

(iv) नए एम्स की स्थापना के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजना के तहत 22 एम्स अनुमोदित किए गए हैं। इनमें से 19 में स्नातक पाठ्यक्रम शुरू हो चुके हैं।

(v) फैकल्टी, स्टाफ, बिस्तरों की संख्या और अन्य अवसंरचना की आवश्यकता के संदर्भ में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए मानकों में छूट।

(vi) फैकल्टी की कमी को पूरा करने के लिए फैकल्टी के रूप में नियुक्ति हेतु डीएनबी अर्हता को मान्यता दी गई है।

(vii) मेडिकल कालेजों में शिक्षकों/डीन/प्रधानाचार्य/निदेशक के पदों पर नियुक्ति/सेवाकाल बढ़ाने/पुन:रोजगार के लिए आयु सीमा को 70 वर्ष तक बढ़ाया जाना।

*****